बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या ..../ पटना, दिनांक ....

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति, कैरियर संवर्धन एवं उनके सेवा शर्त्तो के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) यह नियमावली **बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2014** के नाम से जानी जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तक रहेगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** - इस नियमावली में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संवर्ग।

(ii) **"सरकार"** से अभिप्रेत है **"बिहार सरकार"**।

(iii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है **"बिहार लोक सेवा आयोग"**।

(iv) **"निदेशालय"** से अभिप्रेत है **"विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय"**।

(v) **"विभाग"** से अभिप्रेत है **"विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग"**।

(vi) **"सेवा"** से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा।

(vii) **"सीधी नियुक्ति"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति।

(viii) **"समिति"** से अभिप्रेत है **"विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति"**।

(ix) **"संवर्ग के सदस्य"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति।

(x) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

(xi) **"परिषद"** से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप)

(xii) **"वर्ष के अन्दर रिक्ति"** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदो के सृजन, सेवा निवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उदभूत रिक्ति।

(xiii) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।

3. **बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना** -

(1) संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे-

क्र0सं0	पदनाम
1	सहायक प्रोफेसर
2	ऐसोशियेट प्रोफेसर
3	प्रोफेसर
4	प्राचार्य

स्पष्टीकरण-संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति इस संवर्ग के सदस्य नहीं समझें जायेगे।

(2) यह संवर्ग **राज्य स्तरीय** संवर्ग होगा।

(3) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान एवं सेवा शर्ते **राज्य सरकार** द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) सहायक प्रेफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले पदों की सृजित संख्याएँ परिषद (अभातशिप) द्वारा विहित अनुपात में होगी।

(5) प्राचार्य द्वारा यांत्रिकी शाखा के किसी एक ऐसोशियेट प्रोफेसर को कम शिक्षण कार्य बोझ के साथ कर्मशाला अधीक्षक का दायित्व सौंपा जा सकेगा।

(6) अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न संकायों के प्रशासन में प्राचार्य को सहयोग करने हेतु विभागाध्यक्ष के कार्य का निर्वहन, प्राध्यापक के पद धारकों द्वारा, वरीयता एवं चक्रवार के क्रम में, किया जाएगा। विभागाध्यक्ष के रूप में प्राध्यापक की कार्य अवधि तीन वर्ष तक सीमित रहेगी।

(7) अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में यदि किसी खास संकाय में कोई प्राध्यापक न हो, तब विभागाध्यक्ष के कार्यो का निर्वहन सह-प्राध्यापक द्वारा, वरीयता एवं चक्रवार के क्रम में किया जाएगा। विभागाध्यक्ष के रूप में सह-प्राध्यापक की कार्य अवधि तीन वर्ष तक सीमित रहेगी।

4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना** - प्रत्येक वर्ष विभाग उस वर्ष के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु सहायक प्रोफेसर, ऐसोशियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी

जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना 30 अप्रील तक आयोग को प्रेषित करेगी।

5. **सीधी नियुक्ति** - (1) संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

(2) सीधी नियुक्ति की स्कीम परिशिष्ट-1 पर उपबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

6. **आरक्षण** - इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार संधारित होगा।

7. **उम्र-सीमा** - सीधी नियुक्ति के लिए संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निम्नवत होगी:-

(क) सहायक प्रोफेसर	22 वर्ष
(ख) एसोसियेट प्रोफेसर	31 वर्ष
(ग) प्रोफेसर	37 वर्ष
(घ) प्राचार्य	37 वर्ष

उम्र की गणना का आधार आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के वर्ष की संदर्भ तिथि पहली अगस्त होगी।

8. **वरीयता** - विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगी। कैरियर संवर्धन योजना के अधीन लाभ प्राप्त तथा सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में आए सदस्यों की वरीयता सूची अलग-अलग संधारित होगी।

9. **कैरियर संवर्धन योजना**- (1) कैरियर संवर्धन योजना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर उन्नति योजना] विनियम, 2012 के अनुरूप, लागू होगा। कैरियर संवर्धन योजना का लाभ समिति/आयोग की अनुशंसा के आधार पर देय होगा तथा शिक्षकों द्वारा धारित मूल पद तदनुरूप उत्क्रमित होंगे। परन्तु संवर्ग के सभी सृजित पदों की कुल संख्या के अधीन ही कैरियर संवर्धन लाभ देय होगा। सेवा निवृति या अन्यथा रिक्त होने पर उत्क्रमित पद स्वत: मूल पद के रूप में अवक्रमित हो जायेगा।

(2) प्रत्येक मामले में कैरियर संवर्धन योजना का लाभ तभी देय होगा जब संबंधित शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर संवधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी शर्तो को अनिवार्यत: पूरा करते हों।

(3) सेवा संवर्ग में सहायक प्रोफेसर से एसोसियेट प्रोफेसर के पद तक कैरियर संवर्धन लाभ समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

(4) एसोसियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद तक कैरियर संवर्धन के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति अपनी संस्तुति आयोग को भेजेगी एवं आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही कैरियर संवर्धन का लाभ देय होगा।

(5) समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

10. **स्थापना संबंधी कार्यो का नियंत्रण** - इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, कैरियर संवर्धन, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

11. **प्रतिनियुक्ति** -इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग/निदेशालय के अधीनस्थ/संबद्व कार्यालयों के उपयुक्त गैर संवर्गीय पदों पर अधिकतम 3 वर्षो की अवधि के लिए किया जा सकेगा।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई** -सेवा के सदस्यों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

13. **विविध** - जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. **शिथिल करने की शक्ति** - जहॉ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहॉ सरकार आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

15. **निर्वचन** - जहॉ इस नियमावली के किसी नियम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहॉ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा।

16. **कठिनाइयों का निराकरण** - नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति** - (1) इस नियमावली के निर्गमन के पूर्व इस संबंध में निर्गत संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के तहत की गई नियुक्तियॉ या निर्गत किए गए आदेश प्रवृत और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन निर्गत किए गए हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

1335

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पॉच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(I)स्था0-04/2014 896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 28/3/14
अपर सचिव।

334

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
परिशिष्ट-1
तालिका-1
बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव :-

क्र0सं0	पद	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
1	सहायक प्रोफेसर	**इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी** प्रासंगिक शाखा में बीई/ बी.टेकऔर एमई/एम. टेक जिसमें बीई/ बी.टेक अथवा एमई/एम.टेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हों।	———
		मानविकी एवं विज्ञान (1) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो-तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो-अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समतुल्य डिग्री हो। (2) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा-अथवा इस के समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी;सी; द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (3) जो अभ्यर्थी पी.एच.डी. हैं या जिनको पी.एच.डी; उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी; उपाधि प्रदान हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2009 के अनुपालन द्वारा दी गयी हो, उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त्त की 1 एवं 2 कंडिका की अर्हता से छूट रहेगी।	

2	एसोसियेट प्रोफेसर	**इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी** सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उपर्युक्तानुसार अर्हताएं यथालागू तथा उपर्युक्त विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. अथवा समकक्ष पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उधोग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएचडी. अनुभव वाछनीय है। वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैद्य रूप में विचार किया जाएगा।
		मानविकी एवं विज्ञान (i) पीएच०डी० डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकार्ड-जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो। (ii) न्यूनतमनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोतर डिग्री (अथवा किसी 'पॉइन्ट स्केल' के अन्तर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।	(i). किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएच०डी० के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएं जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों। (ii) अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मोषी डिजाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी-माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया है। (iii) रेगुलेशन 2010 के अनुसार शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होना अनिवार्य है।

3	**प्रोफेसर**	**<u>इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी</u>** उक्त् अर्हता अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए लागू पोस्ट पीएचडी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय	शिक्षण /शोध/उधोग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यनतम 5 वर्ष का अनुभव एसोसियेट प्रोफेसर स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और / अथवा शोध और/अथवा उधोग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक /शोध पत्र /प्रकाशन/ आई पी आर/ पेटेंटो के रिकार्ड आयोग से आवश्यक समझ जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग के अनुभव पर विचार किया जाता है तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए जो एसोसियेट प्रोफेसर के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाईन आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता, नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/ शोध पत्र प्रकाशन/ आई पी आर/ पेटेंटों आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाए। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।
		<u>मानविकी एवं विज्ञान</u> (i) एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी०एच०डी० में अर्हता अपने सम्बद्ध/समवर्गी/ प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वत्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएं हों- पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र है। (ii) शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं	(i) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो; अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच०डी० स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

1331

		प्रौद्योगिक-माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया। (iii) शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) यू०जी०सी० रेगूलेशन 2010 के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए। **अथवा** एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्तिए जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएं।	
4	प्राचार्य	उपर्युक्तानुसार अर्हताएं अर्थात् प्रोफेसर के पद के लिए यथा लागू पोस्ट पीएचडी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यून्तम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यून्तम 3 वर्ष प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए अथवा - शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आई. पी. आर/ पेटेंटो के रिकार्ड आयोग द्वारा आवश्यक समझें जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग का अनुभव विचार किया जाता है तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए जो प्रोफेसर के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाईनिंग आयोजन कार्यकारी, विशलेषण, गुणवता, नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/ आईपीआर/पेटेटो, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा कि आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाय। प्रवंधन एवं नेतृत्व के लिये अभिरूचि अनिवार्य है। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

330

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-1

तालिका-2

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम

संवर्गीय पद	कुल वेटेज-100		
	अकादमिक रिकार्ड अनुसंधान निष्पादन (वेटेज-30)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-50)	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-20)
सहायक प्रोफेसर	(a) 15% of percentage Marks obtained in M.Tech./ M.Sc./ MA in relevant Branch (b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech./ B.Sc (Hons)/ BA (Hons) (c) Ph.D.-05 (d) शोध प्रकाशन/संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण-05 (अधिकतम) संदर्भित जनर्लस-1 प्रति प्रकाशन गैर संदर्भित परन्तु मान्य एवं जाने-माने जर्नलस तथा पिरियोडिकल जिनके आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर हो-0.75 प्रति प्रकाशन पूर्ण कागजात आदि के रूप में संगोष्ठी/सम्मेलन की कार्यवाहियों (सार समिम्लित ना किया जाय) अंतराष्ट्रीय : 1 प्रति प्रकाशन राष्ट्रीय: 0.75 प्रति प्रकाशन	क) साइंस एवं मानविकी के लिये विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठयक्रम ख) अभियंत्रण संकाय के लिये ग्रेजुएट एपटीटयूड टेस्ट इंजीनियरिंग (GATE) संबंधित विषय के पाठयक्रम।	

329

बिहार सरकार

<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>

<u>परिशिष्ट-1</u>

<u>तालिका-3</u>

<u>बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के एसोसियेट प्रोफेसर/प्रोफेसर/प्राचार्य पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम</u>

कुल वेटेज-100		
अकादमिक पृष्ठभूमि (वेटेज-20)	**अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज-60) (अभियंत्रण, मानविकी एवं विज्ञान)**	**साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज-20)**
a) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./M.Sc./MA in relavant Branch b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech.Engg./B.Sc. (Hons)/ BA (Hons) c) Ph.D-05	a) शोध प्रकाशन -(वेटेज-20 अधिकतम) b) संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण -(वेटेज-20 अधिकतम) c) स्पोनसर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट / परियोजना -(वेटेज-10 अधिकतम) d) अनुसंधान मार्गदर्शन एम.फिल., एम.ई., एम.टेक. -(वेटेज-5 अधिकतम) e) पीएच डी. गाईड -(वेटेज-5 अधिकतम) संदर्भित जर्नलस -3 प्रति प्रकाशन गैर-संदर्भित परंतु मान्य एवं जाने-माने जर्नल्स तथा पिरीयोडिक, जिनके आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नम्बर हों-2 प्रति प्रकाशन। पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोष्ठी/सम्मेलन की कार्यवाहियों (सार सम्मिलित न किया जाए) - अंतर्राष्ट्रीय 5 प्रति प्रकाशन राष्ट्रीय 2.5 प्रति प्रकाशन पाठक या संदर्भ पुस्तकें, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी-मानी पीयर रिव्यू प्रणाली द्वारा प्रकाशित किया गया हो - एक मात्र लेखक द्वारा 5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 1 प्रति अध्याय केन्द्र सरकार के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें, जिनकी आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या हो - एक मात्र लेखक द्वारा 2.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तकें में 0.5 प्रति अध्याय	

328

	आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें - **एक मात्र लेखक द्वारा 1.5 प्रति अध्याय** **संपादित पुस्तके में 0.25 प्रति अध्याय** ज्ञान आधारित खंडों में अध्यायों का संपादन योगदान (अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित) **-2 प्रति अध्याय** भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित खंडों में अध्याय (जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबरों सहित आई.एन.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर हो**-1 प्रति अध्याय** 30.0 लाख रूपये से ऊपर के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएं **- 15 प्रति परियोजना** 5.0 लाख रूपये से 30.00 लाख रूपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएं- **10 प्रति परियोजना** लघु परियोजनाएं (50.000 रूपये से 5 लाख रूपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली लघु परियोजनाएं)- **5 प्रति परियोजना** केन्द्र तथा राज्य स्तर के सरकारी निकायों के बृहद नीतिगत दस्तावेज पेटेंग/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया - **30 प्रति राष्ट्रीय स्तर परिणाम या पेटेंट** **50 प्रति अंतर्राष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट** **<u>अनुसंधान मार्गदर्शन-</u>** केवल डिग्री (एम.फिल/एम.ई./एम.टेक) प्रदान की गई **-1.5 प्रति अभ्यर्थी** केवल डिग्री (पीएचडी.) प्रदान की गई **-2.5 प्रति अभ्यर्थी** शोध प्रबंध जमा किया गया **-1.5 प्रति अभ्यर्थी** निम्नलिखित में अनुसंधान पत्रों (मौखिक/पोस्टर) की भागीदारी तथा प्रस्तुतिकरण (क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन -10 प्रति (ख) राष्ट्रीय-5 प्रति (ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर -1 प्रति (घ) स्थानीय विष्वविद्यालय / कॉलेज स्तर -0.5 प्रति	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

No. ..../ Patna, Date ....

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for the appointment to different posts of Teachers in the Government Engineering Colleges/ Institutions/ career advancement and to regulates their service conditions :

1. **Short title, extent and commencement - (1)** These Rules shall be known as **Bihar Engineering Education Service Rules, 2014.**
   (2) It shall extent to all the Govt. Engineering Colleges/Institutes subordinate to the Department of Science and Technology, Govt. of Bihar, in the whole state of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of issue of the Notification.
2. **Definitions: In these Rules, unless otherwise requires in the context -**
   (i) **"Cadre"** means Bihar Engineering Education Service Cadre as laid down under Rule 3.
   (ii) **"Government"** means the 'Government of Bihar'.
   (iii) **"Commission"** means 'Bihar Public Service Commission'.
   (iv) **"Directorate"** means the 'Directorate of Science and Technology'.
   (v) **"Department"** means the 'Department of Science and Technology'.
   (vi) **"Service"** means 'Bihar Engineering Education Service'.
   (vii) **"Direct Appointment"** means appointment to be made on the recommendation of Bihar Public Service Commission.
   (viii) **"Committee"** means the 'Departmental Promotion Committee' constituted by the Department.
   (ix) **"Cadre Member"** means the person appointed and included in the Bihar Engineering Education Service under the provisions of these Rules.
   (x) **"Appointing Authority"** means the Department of Science and Technology.
   (xi) **"Council"** means All India Council for Technical Education (AICTE).

(xii) **"Vacancies within the year"** means the vacancies occurring in a particular year by virtue of creation of new posts, superannuation, death and dismissal.

(xiii) **"Year"** means Financial Year, i.e., the period from April 01 to March 31 of the next year.

3. Cadre Structure for Bihar Engineering Education Service -

(1) The following posts shall be in the cadre -

Sl. No.	Designation
1	**Assistant Professor**
2	**Associate Professor**
3	**Professor**
4	**Principal**

Explanation - Persons appointed on contract basis will not be deemed to the member of this cadre.

(2) This Cadre shall be **The state level cadre.**

(3) The pay scales and service conditions for the members of this service shall be determined by the **State Government**.

(4) The number of sanctioned posts of Assistant Professor, Associate Professor and Professor to be filled by Direct Appointment shall be as per the ratio prescribed by the Council. (AICTE)

(5) Responsibility of Workshop Superintendent to an Associate Professor of Mechanical Engineering branch with reduced teaching workload may be assigned by The Principal.

(6) In Engineering Colleges/Institutes, work performance of the **'Head of the Department'** shall be done by the post of Professor in order of seniority and rotation to assist the Principal in administration of different faculties. The tenure of a Professor as Head of the Department shall be limited up to three years.

(7) If there is no Professor in the faculty work performance of the Head of the Department in Engineering Colleges/Institutes shall be done by an Associate Professor in order of seniority and rotation. The tenure of such Associate Professor as Head of the Department shall be limited up to three years.

4. Determination of Vacancies and Its Intimation to the Commission -

Every year the Government shall calculate the vacancies for Direct Appointment to the posts of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Principal for the Govt. Engineering Colleges/Institutes and shall accordingly send intimation to the Commission regarding the vacancies for direct recruitment by 30th April.

5. Direct Appointment -

1325

(1) Direct appointment to the different posts of the Cadre shall be made in the light of the recommendation of the Commission.

(2) The scheme of the direct appointment is provided on appendix-1, which may be amended by the Government from time to time.

6. **Reservation:** In direct appointments in this service, the provisions of Reservation/Roster as provided by the Government from time to time shall remain applicable. The Reservation Roster shall be maintained subject-wise.

7. **Age–limit:** For direct appointment, the minimum age–limits for different posts of the cadre shall be as under:-

a) Assistant Professor	- 22 Yrs
b) Associate Professor	- 31 Yrs
c) Professor	- 37 Yrs
d) Principal	- 37 Yrs

The age shall be computed on the basis of reference date of August 1st of the year advertisement issued by the commission.

8. **Seniority:** The Department shall publish in the month of April every year a seniority–list of legally appointed and working teachers for each posts of the Cadre. Seniority list for the teachers coming through direct recruitment and career advancement scheme will be maintained.

9. **Career Advancement Scheme:** (1) Career Advancement Scheme will be inconformity with All India Council for Technical Education [Technical Institutions (degree) career advancement scheme for teachers and other education staff] Regulation 2012. Benefit of Career Advancement Scheme shall be admissible on the basis of recommendation of the committee and accordingly the posts held by the teachers shall be upgraded. However, the career advancement benefit shall be admissible within the total number of sanctioned posts in the cadre, such upgraded posts shall automatically be downgraded as basic posts in the event of superannuation or otherwise arising vacancy.

(2) In each case, the benefit of Career Advancement Scheme shall only be admissible when concerned teachers fulfill essentially all the conditions to have the benefit under Career Advancement Scheme notified by the State Government.

(3) The benefit of career advancement from the post of Assistant Professor to the post of Associate Professor in the Service Cadre shall be granted on the recommendation of the Committee.

(4) The Departmental Promotion Committee shall send its memorandum to the Commission in matter of career advancement from the post of Associate Professor to the post of Professor and the benefit thereof shall be permissible only after receiving recommendation of Commission.

(5) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

1324

10. Control of Establishment related Matters -

Appointment, career advancement, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority–list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.

11. Deputation - Posting of Members of this cadre may be made on deputation for a maximum period of three years to the suitable and non-cadre posts of the offices subordinate to or attached with the Department/Directorate.

12. Disciplinary action - The provisions of The Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable for the purpose of disciplinary action against the members of this cadre.

13. Miscellaneous - Subjects for which provisions are not made in these Rules, the existing rules/instructions in respect of the State Government employees will be applicable.

14. Power to relax - Where in the opinion of the Government it is necessary and expedient to do it, by reasons to be recorded may by order relax any provision of these Rules in respect of a person or a category.

15 Interpretation - Wherever any doubt arises in respect of any rule of these Rules, the decision of the State Government shall be binding.

16. Removal of Difficulties - Final removal of any difficulty related to these Rules shall be made by the State Government.

17. Repeal and Savings - (1) All Resolutions /Circulars issued earlier in this regard prior to commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, the appointments made or orders issued under the aforesaid earlier issued Resolutions/Circulars shall be deemed to be come in force and legal as if they were issued under the appropriate provisions of these Rules.

By the Order of the Governor of Bihar

Additional Secretary,

Deptt. of Science & Technology,

Bihar, Patna

323

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to– Superintendent, Govt. Press, Guljarbag, Bihar, Patna -7 to publish in the forthcoming issue of the Gazette. Kindly make available of 500 (five hundred) printed copies to this department.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to– All Principal, Govt. Engg. Colleges/Govt. Polytechnic/ Govt. Women's Polytechnics/The Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to– Director, Department of Science & Technology, Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to –Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to– The Accountant General, Bihar, Birchand Patel Path Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to–Chief Secretary/All Principal Secretary/ Secretary/ All Directors/ All Divisional Commissioner, Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(I)स्था0- 04/2014 896 Patna, Date- 28/3/2014

Copy to – Secretary, Hon'ble Governor, Bihar, Patna /Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister / Private Secretary to Minister, Department of Science & Technology, Govt. of Bihar, Patna for information.

Sd/- 28/3/14
Additional Secretary

322

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Appendix- I

TABLE- 1

Prescribed Qualifications and Experiences for Direct Appointment in Bihar Engineering Education Service:

Sl. No.	Post	Qualification	Experience
1	**Assistant Professor**	**Engineering & Technology** B.E./B.Tech. and M.E./M.Tech. in relevant branch with First Class or Equivalent either in B.E./B.Tech. or M.E./M.Tech.	
		Humanities and Sciences 1) Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or and equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university. 2) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/ SET. 3) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (1) and (2) candidates, who are PhD, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET.	
2	**Associate Professor**	**Engineering & Technology** Qualification as above that is for the post of Assistant professor, as applicable and PhD or	Minimum of 5 years' experience in teaching/research/industry of which 2 years post Ph.D. experience is desirable. In case of Architecture, Professional practice

		equivalent, in appropriate discipline Post PhD publications and guiding PhD student is highly desirable. **<u>Humanities and Sciences</u>** (i) Good academic record with PhD Degree in the concerned/ allied/ relevant disciplines. (ii) A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).	of 5 Years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid. (i) A minimum of eight years of experience of teaching and/ or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/industry excluding the period of PhD research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/ or research/ policy papers. (ii) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses. and technology- mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students. (iii) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in this Regulation, 2010
3	**Professor**	**<u>Engineering & Technology</u>** Qualification as above that is for the post of Associate Professor, applicable. Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years' teaching/ research/industrial experience of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor. Or Minimum of 13 years' experience in teaching and/or Research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books research paper publications/IPR/Patents record shall be required as deemed fit by the Commission. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active participation record in devising, designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / patents etc. as deemed fit by the commission. In case of Architecture Professional Practice of 5 Years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.
		<u>Humanities and Sciences</u>	(i) A minimum of 10 years of teaching experience in University / College and or, experience in research at the university /national level, institutions/ industries,

		(i) An eminent scholar with PhD qualification in the concerned/ allied/relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with minimum of 10 publication as books and/or research/policy Papers (ii) Contribution of educational innovating design of new curricula and courses and technology, mediated teaching, learning process. (iii) A minimum score as stipulated in the academic performance indicates Based performance Appraisal System (PBAS) set out in this Regulation in Appendix –III of Gazette of UGC dated 30 June 2010. Or An outstanding professional with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the Concerned /allied/relevant discipline to be substantiated by credentials.	including experience of guiding candidate for research at doctoral level.
4	**Principal**	Qualifications as above that is for the post of Professor, as applicable. Post PhD publications and guiding PhD students highly desirable	Minimum of 10 years' experience in teaching/research/industry out of which at least 3 years' shall be at the level of Professor. **Or** Minimum of 13 years' experience in teaching and/or Research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publication/IPR/Patents record shall be required as deemed fit by commission. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record in devising, designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications/IPR/patents, etc. as deemed fit by the Commission. Flair for Management and Leadership essential. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the council of Architecture shall also be considered valid.

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Appendix-1

TABLE-2

Weightage Scheme for Direct Appointment to the post of Assistant Professor in Bihar Engineering Education Service:

Cadre Post	Total Weightage - 100		
	Academic Record and Research Performance (Weightage-30)	Evaluation of Domain Knowledge and Teaching Skill through Written Examination (Weightage-50)	Interview (Weightage-20)
Assistant Professor	(a) 15% of Percentage Marks obtained in M.Tech/M.sc/M.A. in relevant Branch/Subject. (b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech/B.Sc.(Hons)/B.A.(Hons) (c) Ph.D.- 05 (d) Research Publication/Seminar Presentation – 05 (Maximum) Referred Journals --1.0 Per Publications Non-referred but recognized and reputable journals and periodicals with ISBN/ISSN Number – 0.75/Publication Seminar/Conference proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included international : 1.0/Publication National: 0.75/Publication)	**(a) For Science and Humanities** : The syllabus of core subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University grants Commission (UGC) **(b) For Engineering Stream** : The syllabus of Graduate Aptitude Test Engineering (GATE)	

1315

GOVERNMENT OF BIHAR
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Appendix- I

TABLE- 3

Weightage Scheme for Direct Appointment to the Post of Associate Professor/Professor/Principal in Bihar Engineering Education Service:

Academic Background (Weightage – 20)	Total Weightage - 100	
	Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching Skill. (Weightage – 60) (Engineering, Humanities and Science)	**Viva-Voce (Weightage – 20)**
(a) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./M.Sc./M.A. in relevant Brach. (b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech.Engg./B.Sc.(Hons)/B.A.(Hons) (c) Ph.D. - 05	(a) Research Publication - **(Weightage – 20 Maximum)** (b) Seminar Presentation – **(Weightage – 20 Maximum)** (c) Sponsored Research Project/Project – **(Weightage – 10 Maximum)** (d) Research Guidance (M.Phil, M.E, M.Tech.) – **(Weightage – 05 Maximum)** (e) Ph.D. guidance -**(Weightage – 05 Maximum)** • Referred Journals – **3 Each Publication.** • Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number **2/Publication** • Seminar/Conference Proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included) – International – **5/Publication** National – **2.5/Publication** • Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author – **5/Chapter** In edited books – **1/Chapter** Subject Books by National/State level	

	publishers and Central Govt. Publications with ISBN/ISSN Numbers – By sole author – **2.5/Chapter** In edited books – **0.5/Chapter** • Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Numbers - By sole author – **1.5 Chapter** In edited books – **0.25Chapter** • Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) - **2/Chapter** • Chapters in knowledge based volumes Published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories - **1/Chapter** **PROJECTS** • Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – **15 Weightage** • Major projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Each Project – **10 Weightage** • Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project – **5 Weightage** • Minor policy document of Govt. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process 30 for Each Output/Patent of National level 50 for Each one of International level **RESEARCH GUIDANCE**		

	• Degree Awarded only (M.Phil/M.E./M.Tech.) **1.5/Each Candidate** • Degree (Ph.D.) awarded – **2.5/Each Candidate** • Thesis submitted - **1.5/Each Candidate** • Participation and Presentation of Research papers (Oral/Poster) as follows: **(a)** International Conference - **10/Each** **(b)** National - **5/Each** **(c)** Regional/State level - **1/Each** **(d)** Local University/College level - **0.5/Each**	

By the Order of the Governor of Bihar

Additional Secretary,

Deptt. of Science & Technology,

Govt. of Bihar, Patna